रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24012022-232844
CG-MH-E-24012022-232844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
No. 45] NEW DELHI, MONAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 24 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

   I. विनियम 3 के उप-विनियम (4) के खंड (क) में, शब्दों “अवसंरचना निधियाँ” के बाद, चिह्न तथा शब्द, “विशेष परिस्थिति वाली निधियाँ” जोड़े जाएंगे।

   II. विनियम 12 में,

i. उप-विनियम (3) में, चिह्न "।" के स्थान पर, चिह्न ":" आ जाएगा ।

ii. उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि उप-विनियम (2) एवं उप-विनियम (3) के तहत दी हुई अपेक्षाएँ अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए 'अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड' (लार्ज वैल्यू फंड) के प्रति लागू नहीं होंगी ।"

III. अध्याय III-क के बाद, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय III-ख

विशेष परिस्थिति वाली निधियाँ

परिभाषाएँ

19झ. *इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए नीचे दिए गए हैं, और उनके जैसे शब्दों तथा ऐसे जिन शब्दों के रूप कुछ बदल गए हों उनका अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-*

(1) "समाधान (रेज़ोल्यूशन) हेतु आवेदन करने वाले आवेदक" (समाधान आवेदक) का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) में इसके लिए दिया हुआ है;

(2) "विशेष परिस्थिति वाली आस्ति" में शामिल हैं, -

(क) मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (लिए गए उधार का अंतरण) निदेश, 2021 [मास्टर डायरेक्शन – रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोज़र्स) डायरेक्शन्स, 2021] (समय-समय पर यथा संशोधित) के खंड 58 के अनुसार या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के भागस्वरूप या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई किसी अन्य नीति के अनुसार अर्जन हेतु उपलब्ध दबावग्रस्त ऋण (स्ट्रेस्ड लोन);

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ रजिस्ट्रीकृत किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदें (सिक्यूरिटी रिसीट्स);

(ग) जिन कंपनियों में निवेश किया जा रहा हो, उन कंपनियों (इन्वेस्टी कंपनियों) की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़),

(i) जिनके दबावग्रस्त ऋण मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (लिए गए उधार का अंतरण) निदेश, 2021 [मास्टर डायरेक्शन – रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोज़र्स) डायरेक्शन्स, 2021] (समय-समय पर यथा संशोधित) के खंड 58 के अनुसार या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना के भागस्वरूप या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई किसी अन्य नीति के अनुसार अर्जन हेतु उपलब्ध हों;

(ii) जिनके उधारों की एवज में, भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ रजिस्ट्रीकृत किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी (असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी) द्वारा प्रतिभूति रसीदें जारी की गई हों;

(iii) जिनके उधार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के अध्याय-II के तहत दी हुई कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया (निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया / कारपोरेट इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस) के अध्यधीन हों;

(iv) जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / प्रणालीगत रूप से (सिस्टमिकली) महत्त्वपूर्ण जमा (डिपॉज़िट) न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / जमा (डिपॉज़िट) लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिए गए ऋणों पर और/या सूचीबद्ध (लिस्टिड) या असूचीगत (अनलिस्टिड) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) पर ब्याज अदा करने / के मूलधन की रकम की चुकौती करने के संबंध में की गई समस्त चूकों (डिफॉल्ट) को प्रकट (डिस्क्लोज़) कर दिया हो, और इस प्रकार भुगतान के संबंध में की गई चूक कम से कम नब्बे कलैंडर दिनों की अवधि तक (चूक होने की तारीख के बाद) जारी रही हो:

परंतु यह कि उप-खंड (iii) एवं (iv) के मामले में, कंपनी की वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट्स) या क्रेडिट इन्स्ट्रूमेंट्स या उसके उधारों की क्रेडिट रेटिंग घटाकर "डी" या उसके बराबर कर दी गई हो;

(घ) कोई अन्य आस्ति (असेट), जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए;

(3) "विशेष परिस्थिति वाली निधि" का अर्थ है – प्रवर्ग I की वह आनुकल्पिक निवेश निधि जो अपने निवेश के उद्देश्यों के अनुसार विशेष परिस्थिति वाली आस्तियों में निवेश करती हो तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत समाधान (रेज़ोल्यूशन) हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के तौर पर कार्य कर सकती हो ।

लागू होना

19ञ. (1) इस अध्याय के प्रावधान विशेष परिस्थिति वाली निधियों और ऐसी विशेष परिस्थिति वाली निधियों द्वारा लाई जाने वाली स्कीमों के प्रति लागू होंगे ।

(2) इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधान [विनियम 10 के खंड (ख) एवं (ग), विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (क), (ग) एवं (ङ), विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (क) और इन विनियमों के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा परिपत्रों (सर्कुलर) को छोड़कर], जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो या इस अध्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, विशेष परिस्थिति वाली निधियों, विशेष परिस्थिति वाली निधियों की स्कीमों और उनके प्रायोजकों (स्पॉन्सर) तथा प्रबंधकों (मैनेजर) के प्रति लागू होंगे ।

विशेष परिस्थिति वाली निधियों का रजिस्ट्रीकरण

19ट. कोई आवेदक विशेष परिस्थिति वाली निधि के तौर पर रजिस्ट्रीकरण लेने हेतु इन विनियमों के अध्याय-II के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेगा ।

विशेष परिस्थिति वाली निधियों में निवेश

19ठ. (1) विशेष परिस्थिति वाली निधि की प्रत्येक स्कीम का कॉर्पस उतना होगा, जितना बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(2) विशेष परिस्थिति वाली निधि एक निवेशक से उतने मूल्य का निवेश स्वीकार करेगी, जितना बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(3) विशेष परिस्थिति वाली निधि किसी विशेष परिस्थिति वाली निधि को छोड़कर किसी दूसरी आनुकल्पिक निवेश निधि से निवेश स्वीकार नहीं करेगी ।

विशेष परिस्थिति वाली निधि द्वारा निवेश

19ड. (1) विशेष परिस्थिति वाली निधियाँ केवल विशेष परिस्थितियों वाली आस्तियों में निवेश करेंगी तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत समाधान (रेज़ोल्यूशन) हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के तौर पर कार्य कर सकेंगी:

परंतु यह कि विशेष परिस्थिति वाली निधि,

i. अपने सहयोगियों (असोसिएट) में; या

ii. विशेष परिस्थिति वाली निधियों की यूनिटों को छोड़कर किसी दूसरी आनुकल्पिक निवेश निधि की यूनिटों में; या

iii. अपने प्रबंधक, प्रायोजक अथवा अपने प्रबंधक या प्रायोजक के सहयोगियों द्वारा प्रबंधित या प्रायोजित विशेष परिस्थिति वाली निधियों की यूनिटों में,

निवेश नहीं करेगी ।

(2) विशेष परिस्थिति वाली निधि द्वारा मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (लिए गए उधार का अंतरण) निदेश, 2021 [मास्टर डायरेक्शन – रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोज़र्स) डायरेक्शन्स, 2021] (समय-समय पर यथा संशोधित) के खंड 58 के तहत अर्जित दबावग्रस्त ऋण में किया गया कोई भी निवेश बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित लॉक-इन की अवधि के अध्यधीन होगा ।"

IV. पहली अनुसूची के प्ररूप क के खंड 1 के उप-खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) वह प्रवर्ग जिसके तहत आवेदन किया जाता है –

1. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि - जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड)

2. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि - सामाजिक उद्यम निधि (सोशल वेंचर फंड)

3. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि - एसएमई निधि

4. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि - अवसंरचना निधि (इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड)

5. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि - विशेष परिस्थिति वाली निधि

6. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि - अन्य

7. प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधि

8. प्रवर्ग III की आनुकल्पिक निवेश निधि"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./601/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -

(1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा

(2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा

(4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

(5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा

(6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

(7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा

(8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा

(9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(10) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा

(11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा

(12) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

(13) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(14) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा

(15) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा

(16) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th January, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

I. in clause (a) of sub-regulation (4) of regulation 3, after the words *"infrastructure funds"* and before the words *"and such other"*, the words and symbol *", special situation funds"* shall be inserted.

II. In regulation 12,

i. in sub-regulation (3), the symbol *"."* shall be substituted with the symbol *":"*.

ii. after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely,–

"Provided that the requirements under sub-regulation (2) and (3) shall not apply to large value fund for accredited investors."

III. After Chapter III-A, the following shall be inserted, namely, –

"CHAPTER III -B

SPECIAL SITUATION FUNDS

Definitions.

19I. *For the purposes of this Chapter, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly,-*

(1) "resolution applicant" shall have the same meaning as assigned to it under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(2) "special situation asset" includes,-

(a) stressed loan available for acquisition in terms of Clause 58 of Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 as amended from time to time or as part of a resolution plan approved under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 or in terms of any other policy of the Reserve Bank of India or Government of India issued in this regard from time to time;

(b) security receipts issued by an Asset Reconstruction Company registered with the Reserve Bank of India;

(c) securities of investee companies,

(i) whose stressed loans are available for acquisition in terms of Clause 58 of the Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 as amended from time to time or as part of a resolution plan approved under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 or in terms of any other policy of the Reserve Bank of India or Government of India issued in this regard from time to time;

(ii) against whose borrowings, security receipts have been issued by an Asset Reconstruction Company registered with the Reserve Bank of India;

(iii) whose borrowings are subject to corporate insolvency resolution process under Chapter II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(iv) who have disclosed all the defaults relating to the payment of interest/ repayment of principal amount on loans from banks / financial institutions/ Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial Companies/ Deposit taking Non-Banking Financial Companies and /or listed or unlisted debt securities in terms of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and such payment default is continuing for a period of at least ninety calendar days after the occurrence of such default:

Provided that in case of sub-clauses (iii) and (iv), the credit rating of the financial instruments or credit instruments or borrowings of the company has been downgraded to "D" or equivalent;

(d) Any other asset as may be specified by the Board from time to time;

(3) "special situation fund" means a Category 1 Alternative Investment Fund that invests in special situation assets in accordance with its investment objectives and may act as a resolution applicant under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Applicability.

***19J**. (1) The provisions of this Chapter shall apply to special situation funds and schemes launched by such special situation funds.*

(2) All other provisions of these regulations, except clauses (b) and (c) of regulation 10, clauses (a), (c) and (e) of sub-regulation (1) of regulation 15, clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 16 and the guidelines and circulars issued under these regulations, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this Chapter, shall apply to the special situation funds, the schemes of special situation funds and their sponsors and managers.

Registration of special situation funds.

***19K.** An applicant may apply for registration as a special situation fund in accordance with the provisions of Chapter II of these Regulations.*

Investment in special situation funds.

***19L.** (1) Each scheme of a special situation fund shall have a corpus as may be specified by the Board.*

(2) The special situation fund shall accept from an investor, an investment of such value as may be specified by the Board.

(3) The special situation fund shall not accept investments from any other Alternative Investment Fund other than a special situation fund.

Investment by special situation funds.

***19M.** (1) Special situation funds shall invest only in special situation assets and may act as a resolution applicant under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:*

Provided that the special situation fund shall not invest in,

- *i. its associates; or*
- *ii. the units of any other Alternative Investment Fund other than the units of a special situation fund; or*
- *iii. units of special situation funds managed or sponsored by its manager, sponsor or associates of its manager or sponsor.*

(2) Any investment by a special situation fund in the stressed loan acquired under clause 58 of the Master Direction – Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021 as amended from time to time shall be subject to lock-in period as may be specified by the Board."

IV. sub-clause (e) of clause 1 of Form A of the First Schedule shall be substituted with the following, namely, –

"(e) Category under which the application is made –

1. *Category I Alternative Investment Fund-Venture Capital Fund*
2. *Category I Alternative Investment Fund-Social Venture Fund*
3. *Category I Alternative Investment Fund-SME Fund*
4. *Category I Alternative Investment Fund-Infrastructure Fund*
5. *Category I Alternative Investment Fund - Special Situation Fund*
6. *Category I Alternative Investment Fund-Other*
7. *Category II Alternative Investment Fund*
8. *Category III Alternative Investment Fund"*

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./601/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –

   (1) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.

   (2) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

   (3) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.

   (4) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.

   (5) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.

   (6) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.

   (7) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.

   (8) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.

   (9) 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

   (10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.

   (11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.

   (12) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.

   (13) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

   (14) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.

   (15) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41

   (16) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.24 17:12:04 +05'30'